# न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
# जिलाः डीडवाना–कुचामन(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– **सुन्दर लाल खारोल, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सी.एम.सी.(एन.आर.)प्र.सं.:– 49 / 2022(94 / 2019)



बक्षाराम पुत्र हेमाराम, निवासी मकान नम्बर–30, बुगालिया बास, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)।

.....प्रार्थी

**बनाम**

श्रीमती सुनिता कुमारी पत्नी बक्षाराम, पुत्री गोपालसिंह, निवासी मकान नम्बर–30, बुगालिया बास, कुचामन सिटी, हाल निवासी मकान–611 शान्ति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर (राज0)।

.....अप्रार्थीया

## आवेदन अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम

## :–उपस्थितिः–

1. श्री भवानी सिंह चावण्डियॉ – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थीया के विरूद्ध – एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश

## –:: आदेश ::–

**दिनांक :- 19-03-2025**

1. प्रार्थी बक्षाराम की ओर से यह प्रार्थना–पत्र धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना बाबत् प्रस्तुत किया जाकर यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीया का विवाह हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 12–05–2000 को ग्राम डाकीपुरा में सप्तपदी के अनुसार सम्पन्न हुआ था। अप्रार्थीया के पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रार्थी का विवाह साधारण तरीके से किया था। प्रार्थी के पिता ने शादी के समय सोने–चांदी के जेवरात डाले थे। विवाह के उपरान्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीया ने एक साथ ग्राम बुगालिया का बास, कुचामन सिटी में निवास किया। दोनों पक्षकारान के वैवाहिक जीवन से दिनांक 6–8–2010 को पुत्र श्लोक उत्पन्न हुआ। अप्रार्थीया विवाह के समय से ही जिद्दी प्रवृति की महिला थी। अप्रार्थीया ने ससुराल में घरेलू कार्य करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रार्थी व उसके परिजनों ने अप्रार्थीया को

प्यार–दुलार से रखा, किन्तु अप्रार्थीया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रार्थी ने अप्रार्थीया की इच्छानुसार कुचामन कॉलेज में दाखिला दिलाकर तीन साल तक अध्ययन करवाकर सम्पूर्ण खर्चा वहन किया।

2. प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में आगे यह अभिकथित किया है कि अप्रार्थीया अपनी मनमर्जी से पीहर चली जाती और लम्बे समय तक वापस नहीं आती थी। प्रार्थी ने अप्रार्थीया को जयपुर से नर्सिंग कोर्स भी करवाया। उसके उपरान्त अप्रार्थीया जयपुर के विभिन्न अस्पतालों में नर्सिंग की नौकरी की। अप्रार्थीया वर्तमान में सी.के. बिड़ला अस्पताल, गोपालपुरा, जयपुर में कार्यरत होकर प्रतिमाह 30,000/–रूपये की आय अर्जित कर रही है। प्रार्थी ने सउदी अरब जाकर भी अप्रार्थीया का अध्ययन व अप्रार्थीया का सम्पूर्ण खर्चा वहन करता रहा है। अप्रार्थीया ने प्रार्थी व उसके परिजनों के विरूद्ध दहेज का झूठा प्रकरण संस्थित करवाया है। अप्रार्थीया ने प्रार्थी के साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की है। प्रार्थी व उसके परिजनों ने अप्रार्थीया को प्रार्थी के साथ रहने हेतु काफी समझाया, किन्तु अप्रार्थीया ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। अप्रार्थीया ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के करीबन दो साल से प्रार्थी का अभित्याग कर रखा है। प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होकर उचित न्यायशुल्क पर पेश है। इसलिये प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीया को निर्देशित किया जावे कि वह प्रार्थी के साथ रहकर अपने दाम्पत्य कर्तव्य का पालन कर प्रार्थी को साहचर्य प्रदान कर दाम्पत्य जीवन की पुर्नःस्थापना करे।

3. अप्रार्थीया ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया है कि अप्रार्थीया के माता–पिता ने प्रार्थी एवं अप्रार्थीया का विवाह बड़े धूमधाम से किया था, जिसमें करीब 10–12 लाख रूपये खर्च हुए थे। विवाह के उपरान्त प्रार्थी व उसके परिजनों ने अप्रार्थीया को दहेज की मांग करते हुये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए घर से निकाल दिया। अप्रार्थीया का जेठ अप्रार्थीया से 25 लाख रूपये दहेज के रूप में लाने की मांग करता एवं अप्रार्थीया पर गन्दी नजर रखता था। अप्रार्थीया मई, 2005 में जयपुर आकर रहने लग गई। वर्ष, 2006 में प्रार्थी सउदी अरब चला गया एवं वर्ष, 2009 में वापस आया। वर्ष, 2010 में अप्रार्थीया के पुत्र श्लोक का जन्म हुआ। उसके

उपरान्त प्रार्थी सउदी अरब चला गया। प्रार्थी ने अप्रार्थीया को अपने घर ले जाकर दिनांक 25–3–2013 को विवाह पंजीयन करवाया। इस दौरान अप्रार्थीया, प्रार्थी के घर पर 15 दिन रही, तब प्रार्थी व उसके परिजनों ने अप्रार्थीया को प्रताड़ित कर 25 लाख रूपये नकद की मांग की।

4. अप्रार्थीया ने जवाब प्रार्थना–पत्र में आगे यह वर्णित किया कि अप्रार्थीया के साथ प्राथी के परिजनों ने क्रूरतम व्यवहार किया, जिससे वह परेशान होकर पुनः जयपुर आ गई। प्रार्थी अक्टूबर, 2014 में पुनः सउदी अरब चला गया जहां से वर्ष, 2016 में वापस आया। प्रार्थी ने वापिस आने के पश्चात् भी अप्रार्थीया के साथ पुराने रवैये की पुनरावृत्ति करते हुए अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान सामाजिक स्तर पर समझाईश की गई, किन्तु प्रार्थी व उसके परिजनों में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रार्थी ने दिनांक 30–1–2017 को अप्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थीया के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करने एवं अप्रार्थीया एवं उसके पुत्र को 20,000/–रूपये प्रतिमाह अदा करने के इकरारनामे का निष्पादन किया। उसके बावजूद प्रार्थी व उसके परिजनों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। दिनांक 6–2–2017 को जयपुर में प्रार्थी ने शराब के नशे में अप्रार्थीया के साथ बुरी तरह मारपीट कर पुनः सउदी अरब चला गया। दिनांक 18–10–2017 को प्रार्थी पुनः आकर अप्रार्थीया को जबरन कुचामन लेकर आया। वहां पर प्रार्थी व उसके परिजनों ने अप्रार्थीया के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते हुए जयपुर भगा दिया। दिनांक 3–12–2017 को प्रार्थी अपने भाई के साथ अप्रार्थीया के जयपुर स्थित निवास आकर 25 लाख रूपये की मांग की। अप्रार्थीया द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की एवं बच्चे को उठाने की धमकी दी। प्रार्थी, अप्रार्थीया को परेशान करने के लिए मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

5. नयायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक विरचित किये गये हैः–

**1. आया अप्रार्थीया ने प्रार्थी को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के परित्याग कर रखा है, इसलिए प्रार्थी दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना की डिक्री प्राप्त करने का**

**अधिकारी है?**

**––प्रार्थी**

2. **आया अप्रार्थीया के साथ प्रार्थी व उसके परिवारवालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे घर से निकालकर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, जिसके कारण अप्रार्थीया स्वयं व अपने पुत्र को ससुराल में सुरक्षित महसूस नहीं करने के कारण अपने पीहर में रह रही है?**

**––अप्रार्थीया**

3. **अनुतोष?**

6. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में ए.ड.–1 बक्षाराम, ए.ड.–2 नरेन्द्रकुमार, ए.ड.–3 रिछपाल को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया।
7. प्रकरण के इस प्रक्रम पर अप्रार्थीया के अनुपस्थित हो जाने पर दिनांक 22–12–2022 को अप्रार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
8. बहस प्रार्थना–पत्र एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विरचित विवाद्यकों पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार से हैः–

**विवाद्यक संख्या–1:**

9. न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या–1 निम्न प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **''आया अप्रार्थीया ने प्रार्थी को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के परित्याग कर रखा है, इसलिए प्रार्थी दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?''**

10. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ए.डब्लू.–1 बक्षाराम ने अपने सशपथ कथनों के दौरान प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार साक्ष्य देते हुये यह कथन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीया का विवाह हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 12–05–2000 को ग्राम डाकीपुरा में सप्तपदी के अनुसार सम्पन्न होने के पश्चात् अप्रार्थीया ने बिना

किसी युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी को करीब पांच साल से अभित्यक्त कर रखा है।

11. इसी के साथ प्रार्थी की ओर से परीक्षित गवाह ए.डब्लू.–2 नरेन्द्र कुमार एवं ए.डब्लू.–3 रिछपाल जो कि क्रमशः प्रार्थी व अप्रार्थीया के परिवारिक सदस्य है, उक्त दोनों ही साक्षीगण ने प्रार्थी के कथनों की ताईद करते हुये बक्षाराम का विवाह दिनांक 12–05–2000 को अप्रार्थीया श्रीमती सुनिता कुमारी के साथ सम्पन्न होने, प्रार्थी व अप्रार्थीया के आपसी संसर्ग से पुत्र का जन्म मारवाड़ अस्पताल, कुचामन में दिनांक 6–8–2010 को होना बताया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह भी कथन किया है कि अप्रार्थीया विवाह के समय से ही जिद्दी प्रवृत्ति की महिला रही है। प्रार्थी व उसके परिजनों द्वारा अप्रार्थीया को प्यार से रखने के उपरान्त भी अप्रार्थीया के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। अप्रार्थीया के नर्सिंग की पढ़ाई का खर्च भी प्रार्थी द्वारा वहन किया गया। अप्रार्थीया ने प्रार्थी व उसके परिजनों के विरूद्ध दहेज व घरेलू हिंसा के झूठें प्रकरण संस्थित करवाये है। अप्रार्थीया ने प्रार्थी का बिना किसी युक्तियुक्त कारण के करीब 8 साल से अभित्याग कर रखा है।

12. प्रार्थी की उक्त मौखिक साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीया की कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। किन्तु अप्रार्थीया की ओर से जो जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें अप्रार्थीया ने दिनांक 12–5–2000 को प्रार्थी के साथ उसका विवाह हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार ग्राम डाकीपुरा में होने एवं वर्तमान में स्वयं का अपने पुत्र के साथ जयपुर निवास करने का तथ्य स्वीकार किया है।

13. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उससे अप्रार्थीया का प्रार्थी की विवाहिता पत्नी होने एवं अप्रार्थीया द्वारा बिना किसी कारण के प्रार्थी का परित्याग कर प्रार्थी को दाम्पत्य जीवन के सुख, प्यार एवं सहवास से वंचित करने का तथ्य प्रमाणित होता है। प्रार्थी की उक्त मौखिक साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीया की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी विवाद्यक संख्या–1 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या–1 बहक

प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीया निर्णित किया जाता है।

**विवाद्यक संख्या–2:**

14. न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या–2 निम्न प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **"आया अप्रार्थीया के साथ प्रार्थी व उसके परिवारवालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे घर से निकालकर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, जिसके कारण अप्रार्थीया स्वयं व अपने पुत्र को ससुराल में सुरक्षित महसूस नहीं करने के कारण अपने पीहर में रह रही है?"**

15. उक्त विवाधक को साबित करने का भार अप्रार्थीया पर था, किन्तु अप्रार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण अप्रार्थीया की ओर से उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण अप्रार्थीया उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है। अतः विवाद्यक संख्या–3 विरूद्ध अप्रार्थीया निर्णीत किया जाता है।

**अनुतोषः–**

16. चूंकि प्रार्थी विवाद्यक संख्या–1 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। इसलिये प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

## :– आदेश :–

17. अतः प्रार्थी बक्षाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–9 हिन्दू विवाह अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीया श्रीमती सुनीता कुमारी एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया श्रीमती सुनिता कुमारी पत्नी बक्षाराम, पुत्री गोपालसिंह, निवासी मकान नम्बर–30, बुगालिया बास, कुचामन सिटी, हाल निवासी मकान–611 शान्ति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर को यह आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की दिनांक से एक माह की अवधि में प्रार्थी बक्षाराम पुत्र हेमाराम, निवासी मकान नम्बर–30, बुगालिया बास, कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन के निवास पर आकर प्रार्थी के साथ रहकर

दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनर्स्थापना करे। इस निर्णय के अनुरूप डिक्री पर्चा निर्मित किया जावे।

**(सुन्दर लाल खारोल)**
**अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी**
**जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)**

18. आदेश आज दिनांक 19–03–2025 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(सुन्दर लाल खारोल)**
**अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी**
**जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)**